

र.डी. की जाकर मिल दिनांक 22/08/19  
को पेश हो। P. O साहब स्वयं कार्य में आते।

22/08/19

पत्रावली पत्र हुई। वक्तुनाम उप  
अनुपस्थित/ पीठारी। अधिकारी  
को-पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आदेश  
दिनांक-17/10/19 को पेश हो।

17/10/19

पत्रावली पत्र हुई। वक्तुनाम उप  
अनुपस्थित/ पीठारी। अधिकारी  
को-पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आदेश  
दिनांक-24/12/19 को पेश हो।

24/12/19

24/3/2020

11/9/2020

कोविड-19 संक्रमण के कारण

इलाहाबादी पेशी ही जाने पर पत्रावली में आगम  
तारीख पेशी दिनांक 03/11/2020 नियत थी।  
पार्थी सं.। द्वारा जरिए वकील प्रस्तुत प्रारूप  
मित्रल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली  
मित्रल पेशी से तलब की जाकर आज पेश  
हुई। पार्थी सं.। ने जरिए वकील एक  
प्रारूप पेश कर निवेदन किया कि उक्त  
अनुवानी प्रारूप T.I. में पार्थी सं.। और  
जोई कागवाही नहीं चाहता है। अतः उक्त  
अनुवानी प्रारूप T.I. को पार्थी सं.। तीघारान  
के एक व हिस्से तक विद्वा किये जाने  
के आदेश करने की हया में। -इंकि पार्थी

तीघारान

से। शीताराम स्वयं दस्तगत प्राणपत्र T.I  
 में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है।  
 अतः प्रार्थी सं. 1 को विवादित आराजी में  
 अपने एक व हिस्से तक दस्तगत प्राणपत्र  
 T.I को विद्रा किये जाने की अनुमति  
 प्रदान की जाती है। शेष प्राणपत्र T.I व  
 ओदेबा यथावत रहेगा। पञ्चवली पूर्व निष्प  
 तारीख पेजी दिनांक 03/11/2020 को पेश  
 हो।

14/9/2020

(नि. मसौदा)

प्रार्थी सं. 2 की ओर से जरिए वकील प्रस्तुत अ  
 तावत मिफल तल्की स्वीकार की जाने पर फायदे  
 निष्प पेजी से तलब की जाऊ आत पेश है।  
 प्रार्थी सं. 2 ने जरिए वकील प्राणपत्र प्रस्तुत कर  
 किया कि प्रार्थी सं. 2 अपने एक व हिस्से तक प्रा  
 T.I. विद्रा करवाना चाहता है। उक्त प्राणपत्र स्वीक  
 कर अपने एक व हिस्से तक प्राणपत्र T.I. विद्रा क  
 की अनुमति प्रदान करने की रूपा में।

अतः प्रार्थी सं. 2 अपने एक व हिस्से त  
 स्वयं प्राणपत्र T.I. विद्रा करना चाहता है। अतः  
 प्रार्थी सं. 2 का प्राणपत्र स्वीकार कर अपने एक व  
 हिस्से तक प्राणपत्र T.I. विद्रा किये जाने की अनुम  
 प्रदान की जाती है। पञ्चवली का अवलोकन किया  
 प्रार्थी सं. 2 पूर्व में दिनांक 11/9/2020 को अपने एक  
 व हिस्से तक प्राणपत्र T.I. किना विद्रा किया जा  
 है। अतः प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित  
 नहीं होये के कारण कार्रवाई प्रकरण इसी स्तर पर  
 बन्द की जाती है। पञ्चवली फौजल शुजा होकर  
 बन्द से रुक हो तथा बाद तकनील दायिमल दफ्तर हो।  
 निर्णय सुनाया गया।

(संवेना कुमार) RAS  
 सहायक कलेक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेल:



309  
Re. no.  
जाय फौजल

FT 38/2017

न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्टट्रेक महोदय

1. शीताराम आयु 60 वर्ष ]
2. महावीर आयु 45 वर्ष ] पुत्रगण छीतरमल  
जाति जोगी निवासी चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाघोपुर

बनाम

1. मूलीदेवी आयु 90 वर्ष पतिन छीतरमल
2. औगप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरमल  
जाति जोगी निवासी चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाघोपुर
3. रामेश्वरी आयु 65 वर्ष पुत्री छीतरमल पतिन गोपाल ज  
बांसा सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर राज.
4. परमेश्वरी आयु 40 वर्ष पुत्री छीतरमल पतिन शंकर ज  
वर्धमान नगर ए. श्रीनाथवाटिका हीरापुरा, जयपुर राज
5. पटवारी हल्का चौमूपुरोहितान
6. उपपजियक श्रीमाघोपुर ।
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाघोपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेध

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण ने एक दावा माननीय न्यायालय हाजा में त  
 किया जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी  
 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निगन प्रकार से व

1. यह कि भूमि खसरा नं. 810 रकबा 0.02 है 0 म  
अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण व 3  
वहिस्ता बराबर दर्ज है।
2. यह कि भूमि खसरा नं. 811 रकबा 4.30 है 0  
अवस्थित है। जिसमें खातेदारी प्रार्थीगण व 3